



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या व.सं./40/2020-1016

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह भा0य0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- 24/11/22

विषय - नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04252 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Water/44592/2020/3888 दिनांक 04.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 189 दिनांक 27.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 04.04.2020 में निहित कठिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तापित पधांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory afforestation: a) Non-forest land (equivalent in area to the area of forest land to be diverted) for compensatory afforestation identified to the satisfactory acceptance by the State Forest Department shall be transferred and mutated in the name of State Forest Department and notified as RF/PF prior to final (Stage-II) approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 will be furnished prior to Stage-II approval.	क्षतिपूरक वनीकरण के चिन्हित गैर वन भूमि को हस्तांतरित किया गया है जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या 720 (ई०) एवं 721 (ई०) दिनांक 22.09.2022 द्वारा सुरक्षित वन घोषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

<p>b) Compensatory afforestation shall be taken up by the State Forest Department over the transferred equivalent non-forest land mentioned in (a) here above at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local native species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 2,34,93,689/- (रुपये दो करोड़ चौतीस लाख तिरानवें हजार छः सौ नवासी) मात्र को ऑनलाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।</p>
<p>c) The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars as required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. In case of the CA land being in isolated patches of relatively small sizes and embedded in non-forest areas, the CA scheme shall also include provision for appropriately strengthened fencing as required to ensure long-term protection against encroachment etc. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. The final CA scheme along with CA land suitability certificate and geo-referenced map should be made available to this office before the issuance of Stage-II approval order.</p>	<p>क्षतिपूरक वनीकरण के लिये पूर्व से चिन्हित स्थल पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है एवं अन्य के अनुपालन की सहमति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।</p>
<p>3 NPV: a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 36.04251 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p>	<p>NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 36.04251 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 2,25,62,611/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार छः सौ ग्यारह) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।</p>

	b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA funds only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की कुल राशि
5	Of the enumerated 280 trees to be removed from the forest land to be diverted, 78 trees will be translocated and 202 trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department at the cost of User Agency; and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department in advance.	क्षेत्रीय सक्षम समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पटना द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक 106 दिनांक 20.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त के आलोक में कार्य करने की अपनी सहमति दी गयी है।
6	The FRA certificate of the forest land involved in Patna district as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
10	During construction of the reservoir and maintenance operations etc. the following restrictions shall be complied with:	

	(a) No additional or new path or road etc. will be constructed inside the adjoining forest areas for transportation or other uses for the project.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
	(b) No labour camp shall be established on the forest lands adjacent to the proposed diversion site;	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
	(c) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
11	Subject to performance of the main functions of the storage reservoir for drinking water supply, the Nalanda Forest Division should be benefitted under permission and regulation of the Water Resources Department to make use of the dispensable quantity of water in the reservoir for forest and wildlife purposes in the adjoining forests and the Rajgir Wildlife Sanctuary.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life (Storage Reservoir for Drinking Water Supply Scheme).	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
13	a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
	b) The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त पेयजल के लिये लागू नहीं होता है।
15	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।

16	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests and wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।
17	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर upload कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अनुरोध है कि भारत सरकार से विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04252 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापक- व.सं./40/2020-1016 दिनांक- 24/11/22

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Nalanda Forest Division Biharsharif				
3	Name of User Agency nature of proposal	The Executive Engineer Irrigation Division Biharsharif				
4	Extent of forest area involved	36.04251 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, PI clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	04.04.2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	2,34,93,689 /-				
	b. Additional CA					
	c. Penal CA					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	2,25,62,611/-				
	h. Any other charges/Levies (PI Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S.No	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	SBIN320230954596 dt. 23.07.2020	2,25,62,611/- 2,34,93,689/-	NPV CA
		TOTAL			4,60,56,300/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 23.07.2020				
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 23.07.2020				
12	Any other remarks					



Signature of APCCF (CAMPA),
-Cum-Nodal Officer (FC)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-वन भूमि-26/2020...../प०व०ज०प०, नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उदवह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेयजल आपूर्ति के लिए जलाशय निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04251 हे० वन भूमि का अपयोजन किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1227 दिनांक-31.12.2014 द्वारा पूर्व से विभाग को प्रदत्त किशनगंज जिले के दिघल बैंक अंचल, मौजा-लोहागाड़ा, थाना न०-84, खाता संख्या-318, खेसरा संख्या-1593 एवं 1595 एवं थाना संख्या-82, खाता संख्या-55, खेसरा संख्या-58 रकवा-70.89 एकड़ बिहार सरकार गैर मजरूआ खास भूमि तथा टेढ़ागाछ अंचल के मौजा चिचौड़ा, थाना संख्या-78, खाता संख्या-96, खेसरा संख्या-390 एवं 397, रकवा-75.88 एकड़, गैर मजरूआ बिहार सरकार भूमि अर्थात् कुल रकवा-146.77 एकड़ (59.3957 हे०) निर्विवादित किस्म गैर मजरूआ बिहार सरकार गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निशुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तांतरित की गई है। अपयोजन के शर्तों के आलोक में उक्त हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित किया जाना है।

उक्त तथ्यों के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI बॉ) की धारा 29 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त वर्णित 146.77 एकड़ (59.3957 हे०) अनावार बिहार सरकार किस्म गैर मजरूआ बिहार सरकार गैर वन भूमि, जिसकी विवरणी अनुसूची में दी गई है, को सुरक्षित वन घोषित करते हैं :-

अनुसूची-

क्र०	मौजा का नाम	अंचल	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	किस्म
1	लोहागाड़ा	दिघल बैंक	82	55	58	39.96	बिहार सरकार गैर मजरूआ खास भूमि
			84	318	1593	13.12	
					1595	17.81	
						कुल -70.89	
2	चिचौड़ा	टेढ़ागाछ	78	96	397	7.97	गैर मजरूआ बिहार सरकार
					390	67.91	
						कुल -75.88	
						146.77 एकड़ (59.3957 हे०)	

(146.77 एकड़ अथवा 59.3957 हे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि-26/2020...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० की प्रति के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की दो मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कृपा सुधार

ज्ञापांक : वन भूमि-26/2020...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, पूर्णियाँ/समाहर्ता, किशनगंज/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/09/20

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

APCF (CANADA)

26/09/20

26/09/20

Government of Bihar
Environment, Forest & Climate Change Dept.

Notification

Patna-15 Dated.....

No. Van bhoomi-26/2020...../E.F.C.C., 36.04251 ha. of forest land is being diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of reservoir under Ganga Water Lift Project for supply of drinking water in Nalanda District. As provided under the said Act, 146.77 acres (59.3957 ha.) of undisputed Bihar Sarkar Gair Majarua Khas Bhumi in Mauja- Lohagarha, Thana No. 84, Khata No.-318, Khesra No. -1593 & 1595 and Thana No. 82, Khata No.-55, Khesra No. -58 Rakwa-70.89 acres and Mauja-Chichaura, Thana No. 78, Khata No.-96, Khesra No. -390 & 397, Rakwa-75.88 acres, Total-Rakwa 146.77 acres (59.3957 ha.) under Kishanganj district had already been transferred by the Revenue and Land Reforms Department order-cum-memo no.-1227 dated-31.12.2014 to the department of Environment, Forest & Climate Change Dept. Bihar without fee on permanent. As per condition for diversion, the said transferred non-forest Land has to be notification as Resere/Protected forest.

In the light of aforementioned facts, the Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section 29(3) of the India Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1972) declare the said 146.77 acres (59.3957117 ha.) non-forest land, details of with is given in the Schedule, as Protected Forest (P.F) :-

S. N.	Name of mauza	Circle	Thana number	Khata no	Khesara	Area in Acres	Kism
1	Lohagarha	Dighal Bank	82	55	58	39.96	Bihar Sarkar Gair Majarua Khas bhumi
			84	318	1593 1595	13.12 17.81	
			Total -70.89				
2	Chichaura	Tedagachh	78	96	397	7.97	Gair Majarua Bihar Sarkar
					390	67.91	
Total -75.88						146.77 acres. (59.3957 ha.)	

(146.77 acre. or 59.3957 ha.)

By the order of Governor of Bihar
Sd/-

(Subodh Kumar Choudhary)
Joint Secretary to the Govt. of Bihar

Memo no.:- Van bhoomi-26/2020...../E.F.& C.C Patna-15 Dated.....

Copy to :-E-Gazette Cell, Finance department, Patna with C.D. and hard copy for Publication in the next extra ordinary copy of Bihar Gazette.

2. It is requested that 2 copies of aforesaid gazette notification be made available to the Environment, Forest and Climate Change Dept.


Sd/-

(Subodh Kumar Choudhary)

Joint Secretary to the Govt. of Bihar

Memo no.:- Van bhoomi-26/2020...../E.F.& C.C Patna-15 Dated...22.9.22

Copy to :-Personal Secretary to the Hon'ble Minister, Environment, Forest and Climate Change, Bihar, Patna/Personal Secretary to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Dept., Bihar, Patna/Additional Chief Secretary, Revenue and Land Reforms department/Divisional Commissioner, Purnia Division, Purnia/ Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/Additional Chief Conservator of Forest (Campa)-cum-Nodal officer (forest conservator), Bihar, Patna/Conservator of Forest, Purnia/Collector Kishanganj/Divisional Forest officer, Araria for information and necessary action



(Subodh Kumar Choudhary)

Joint Secretary to the Govt. of Bihar

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-वन भूमि-26/2020...../प०व०ज०प०, नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेयजल आपूर्ति के लिए जलाशय निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04251 हे० वन भूमि का अपयोजन किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-966 दिनांक-27.08.2021 द्वारा नालंदा जिला के सिलाव अंचल, मौजा-नानंद, थाना नं०-440, खाता संख्या-727, खेसरा संख्या-921, रकवा-19.75 एकड़ तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-798 दिनांक-27.07.2021 द्वारा नालंदा जिला के गिरियक अंचल, मौजा- महम्मदपुर, थाना नं०-348, खाता संख्या-69, खेसरा संख्या-25, रकवा-16.00 एकड़ अर्थात् कुल रकवा-35.75 एकड़ (14.4675 हे०) निर्विवादित किस्म-गैर मजरुआ मालिक परती कदीम भूमि गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निशुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तांतरित की गई है। अपयोजन के शर्तों के अनुसार उक्त हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित किया जाना है।

उक्त तथ्यों के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI वॉ) की धारा 29 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त वर्णित 35.75 एकड़ (14.4675 हे०) अनावार बिहार सरकार किस्म गैर मजरुआ मालिक परती कदीम गैर वन भूमि, जिसकी विवरणी अनुसूची में दी गई है, को सुरक्षित वन घोषित करते हैं :-

अनुसूची-

क्र०	मौजा का नाम	अंचल	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	किस्म
1	नानंद	सिलाव	440	727	921	19.75 एकड़	गैर मजरुआ मालिक परती कदीम भूमि
2	महम्मदपुर	गिरियक	348	69	25	16.00 एकड़	गैर मजरुआ मालिक परती कदीम भूमि
						35.75 एकड़ (14.4675 हे०)	

(35.75 एकड़ अथवा 14.4675 हे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि-26/2020...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-ई० गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० की प्रति के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की दो मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कृपा संभागी

ज्ञापांक : वन भूमि-26/2020.....(721 45)/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....22/9/22

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, पटना/समाहर्ता, नालंदा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/22

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

APCCF (Camp)

26/9/22

26/9/22

Government of Bihar
Environment, Forest & Climate Change Dept.

Notification

Patna-15 Dated.....

No. Van bhoomi-26/2020...../E.F.C.C., 36.04251 ha. of forest land is being diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of reservoir under Ganga Water Lift Project for supply of drinking water in Nalanda District. As provided under the said Act, 35.75 acres (14.4675 ha.) of undisputed Gair Majarua Malik Kism Parti kadim in Circle-Silaw Mauja-Nanand, Thana No. 440, Khata No.-727, Khesra No. -921, Rakwa-19.75 acres and Circle-Giriyak Mauja-Mahammadpur, Thana No. 348, Khata No.-69, Khesra No. -25, Rakwa-16.00, Total-Rakwa 35.75 acres (14.4675 ha.) under Nalanda district has been transferred by the Revenue and Land Reforms Department order-cum-memo no.-966 dated-27.08.2021 and memo no.-798 dated-27.07.2021 to the department of Environment, Forest & Climate Change Dept. Bihar without fee on permanent basis in lieu of said diversion of forest land. As per condition for diversion, the said transferred non-forest Land has to be notification as Resere/Protected forest.

In the light of aforementioned facts, the Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section 29(3) of the India Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1972) declare the said 35.75 acres (14.47366 ha.) Gair Majarua Malik Kism Parti kadim non-forest land, details of with is given in the Schedule, as Protected Forest (P.F) :-

S. N.	Name of mauza	Circle	Thana number	Khata no	Khesara	Area in Acres	Kism
1	Nanand	Silaw	440	727	921	19.75 acres	Gair Majarua Malik Kism Parti kadim bhumi
2	Mahammadpur	Giriyak	348	69	25	16.00 acres	Gair Majarua Malik Kism Parti kadim bhumi
						35.75 acres (14.4675 ha.)	

(35.75 acre. or 14.4675 ha.)

By the order of Governor of Bihar
Sd/-

(Subodh Kumar Choudhary)
Joint Secretary to the Govt. of Bihar

Memo no.:- Van bhoomi-26/2020...../E.F.& C.C Patna-15 Dated.....

Copy to :-E-Gazette Cell, Finance department, Patna with C.D. and hard copy for Publication in the next extra ordinary copy of Bihar Gazette.

2. It is requested that 2 copies of aforesaid gazette notification be made available to the Environment, Forest and Climate Change Dept.

Sd/-

(Subodh Kumar Choudhary)

Joint Secretary to the Govt. of Bihar

Memo no.:- Van bhoomi-26/2020. 721(61) E.F.& C.C Patna-15 Dated... 22.3.22

Copy to :-Personal Secretary to the Hon'ble Minister, Environment, Forest and Climate Change, Bihar, Patna/Personal Secretary to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Dept., Bihar, Patna/Additional Chief Secretary, Revenue and Land Reforms department/Divisional Commissioner, Patna Division, Patna/ Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/Additional Chief Conservator of Forest (Campa)-cum-Nodal officer (forest conservator), Bihar, Patna/Conservator of Forest, Patna/ Collector Nalanda/Divisional Forest officer, Nalanda for information and necessary action

22.3.22

(Subodh Kumar Choudhary)

Joint Secretary to the Govt. of Bihar

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com

Phone No. 7463889411


पत्रांक:-

बिहारशरीफ,

दिनांक:-/...../2022

सेवा में,

श्री अरविन्दर सिंह, भा0व0से0,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।



विषय:-

नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04251 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति से संबंधित अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय का ज्ञापांक 998 दिनांक 12.11.2021, ज्ञापांक 552 दिनांक 26.06.2020, ज्ञापांक 483 दिनांक 08.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय के ज्ञापांक 998 दिनांक 12.11.2021 के अनुपालन में भवदीय पत्रांक 552 दिनांक 26.06.2020 में उल्लेखित कण्डिका 1 से 17 में अधिरोपित शर्तों का कण्डिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है भवदीय से अनुरोध है कि विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

६०।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-.....106..... बिहारशरीफ,

दिनांक:- 20/01/2022

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।


Jointwise Compliance on condition and Stipulations required vide Letter No.- FP/BR/Water/44512/2020/3888 Dated 04.04.2020 of Regional Office (Ranchi), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI for Proposed diversion of 36.04251 ha forest land for Earthen Water Storage Reservoir between Ghora Katora Lake and Panchane River in Favour of Water Resource Department (Irrigation Division) in Nalanda District of Bihar under Ganga Water Lift Project.

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	<p>Compensatory afforestation:-</p> <p>a) Non-forest land (equivalent in area to the area of forest land to be diverted) for compensatory afforestation identified to the satisfactory acceptance by the state forest department shall be transferred and mutated in the name of state forest department and notified as RF/PF prior to final (Stage -II) approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 will be furnished prior to Stage-II approval.</p> <p>b. compensatory afforestation shall be taken up by the state forest department over the transferred equivalent non-forest land mentioned in (a) here above at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local native species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.</p> <p>c. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars as required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. In case of the CA land being in isolated patches of relatively small sizes and embedded in non-forest areas, The CA scheme shall also include provision for appropriately strengthened fencing as required to ensure long-term protection against encroachment etc. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. The final CA scheme along with CA land suitability certificate and geo-referenced map should be made available to this office before the issuance of Stage-II approval order.</p>	<p>Equivalent non-forest land has been transferred and mutated as required. Copy corresponding notifications attached.</p> <p>Agreed. The cost as required against CA has been deposited and corresponding UTR has been submitted vide this office letter No. 1588 dated 13.11.2020. Fencing of land as required has also been done.</p>
3	<p>NPV:</p> <p>a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 36.04251 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1 /1998-FC (Pt.-II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in regard.</p>	<p>Agreed. The cost as required against NPV has been deposited and corresponding UTR has been submitted vide this office letter No. 1588 dated 13.11.2020.</p>

	b) additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency furnished an undertaking to this effect.	Agreed
4	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited in the CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed and deposited as per instruction.
5	Of the enumerated 280 trees to be removed from the forest land to be diverted, 78 trees will be translocated and 202 trees will be filled under the strict supervision of the State Forest Department at the cost of User Agency, and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department in advance.	Agreed.
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificated from the concerned District Collector.	Agreed and Submitted.
7	Wherever possible and technically feasible, the User Agency- Water Resources Department shall undertake appropriate afforestation measures all around the project site related to this approval, in consultation with the State Forest Department, at the project cost.	Agreed. Provision of Landscaping outside the Reservoir has also been made.
8	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Agreed. The boundary of the diverted forest land has been demarcated as per direction.
9	The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without prior approval of Central Government.	Agreed.
10	During construction of the reservoir and maintenance operations etc. the following restrictions shall be complied with: (a) No additional or new path or road etc. will be constructed inside the adjoining forest areas for transportation or other uses for the project. (b) No labour camp shall be established on the forest lands adjacent to the proposed diversion site; (c) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	Agreed.
11	Subject to performance of the main functions of the storage reservoir for drinking water supply, The Nalanda Forest Division should be benefitted under permission and regulation of the Water Resources Department to make use of the dispensable quantity of water in the reservoir for forest and wildlife purposes in the adjoining forests and the Rajgir Wildlife Sanctuary.	Agreed.
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life (Storage Reservoir for Drinking Water Supply Scheme).	Agreed.
13	a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.	Agreed.

41


	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Not applicable as this is a drinking water project.
15	Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	Agreed.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.	Agreed.
17	The compliance report shall be upload on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed.


 20/1/22
 कार्यपालक अभियंता
 सिंचाई प्रमंडल, मिर्जापुर शरीफ

Undertaking

I do hereby to undertake to bear the cost of additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee.

Date: 19/01/2022
Place: Biharsharif


20/1/22
कार्यपालक अभियंता
सिवांग
(Signature and stamp of the user agency)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for A-I-PDC CAMPA

Date: 15-07-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION BIHARSHARIF
Application No.	8344892523
MoEFISG File No.	PP/BI/WATER/44592/2020
Location	BIHAR
Address.	Executive Engineer Irrigation Division Biharsharif/Nalanda
Amount(In Rs)	46056300/-

Amount in Words: Four Crore Sixty Lakh Fifty-Six Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code	4000000371
Account No.	300253302523
Bank Name & Address:	State Bank of India Central Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase 4, Lodhi Road, New Delhi - 110003
INITIAL	<i>[Signature]</i>
CHECKER	<i>[Signature]</i>

After making successful payment, User Agencies may e-mail: helpdeskampa@corpbank.co.in

COB
No 159337
20/7/20

कायमालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बिहार शरीफ

VTR - SBINR2020072300123002

[Circular Stamp]
[Signature]
20/7/2020

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

झापांक 4665, दिनांक 13.09.2021

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ को अपर समाहर्ता, नालन्दा के झापांक 2811 दिनांक 08.09.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-सिलाव के मीजा-नानन्द, थाना नं०-440, खाता संख्या-727, खेत्तरा सं०-921 के अन्तर्गत कुल रकवा 19.75 एकड़ गैर मजरूआ मालिक किस्म-परती कदिम भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थानान्तरण की स्वीकृति के आलोक में उक्त भूमि विवाद रहित, अतिक्रमण मुक्त कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में दाखिल-खारिज (Mutation) करते हुए अंचलाधिकारी, सिंचाई से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अबिलम्ब समर्पित करने का कृपा करें।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

13/9/21



बिहार सरकार
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
जमाबंदी पंजी प्रति

13/08/20

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 84	जमाबंदी संख्या : 695
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अपरा का नाम : Dighalbank
मौजा का नाम : लोहागढ़	होलिंग संख्या : N/A	हताका का नाम : लोहागढ़
		धाना नंबर : 82

परिवार एवं वन विभाग, पिलाबापअड्डा-बिहार पटना,
जाति- N/A

खाला नं०	प्लॉट/खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान
55	55	39 ए 86 डि 0 ई	उप- उप- उप- उप-	भू-इस्तेमाल अभिलेख संख्या- 06/2012-13 द्वारा सुचित	400 0
	कुल परिमाण	39 ए 86 डि 0 ई			

अंतिम लगान का विवरण

वर्ष	प्राप्ति पत्र नं०	सात से	सात तक	लगान बकाया
2012				0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

इ एक कम्प्यूटर जनित प्रति है
इ प्रपत्र केवल प्राप्ति की जानकारी के लिए है
सका उपयोग किसी भी न्यायिक में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क कर
गट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर लिखक करें।



बिहार सरकार
विहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13/08/2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 1230	जमाबंदी संख्या : 2582
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अंचल का नाम : Dighalbank
मौजा का नाम : लोहा गाड़ा	हॉलिंग संख्या : N/A	हलका का नाम : लोहागाड़ा
		धाना नंबर : 84

पर्यावरण एवं वन विभाग, पिला/बाघ/अडू-बिहार पटना,
जति- N/A

खाता सं०	प्लॉट/खेतरा सं०	रकबा	पंजी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	री
318	1583	13 ए 12 डि 0 हे	पं: १० उप: ३०	भू हस्तान्तरण अभिलेख संख्या- 09/2012-13 द्वारा स्वीकृत	310	0
	1585	17 ए 81 डि 0 हे	पं: १० उप: ३०			
	कुल परिमाण	30 ए 93 डि 0 हे				

भूमि लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	सात से	सात तक	लागत बकाया
		2012	2013	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

इ एक कम्प्यूटर जनित प्रति है
इ प्रपत्र केवल प्रती की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायिक में संशय के रूप में नहीं किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारिकारी से संपर्क करें
ग्राहक का नक्का देखने के लिए प्लॉट नंबर दिलख करें।



विहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
जमाबंदी पंजी प्रति

13/08/20

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 210	जमाबंदी संख्या : 412
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अंचल का नाम : Terhagachh
मौजा का नाम : चिचौड़ा	होस्टिंग संख्या : N/A	हलका का नाम : KHANIYABAD
		धाना नंबर : 78

विशेष जंगल वन विभाग, पिताबाघ/अबू-बिहार सरकार,
जाति- N/A

खाला सं०	घाटा/खेसरा सं०	रकबा	चीहटी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	संगत
88	397	7 ए 87 डि 0 हे	पूः अः	n/a	0
	390	87 ए 81 डि 0 हे	पूः अः		
कुल परिमाण		75 ए 88 डि 0 हे			

ऑन-संगत का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	सात से	सात तक	सांगत बकाया
-------	-------------------	--------	--------	-------------

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है

इस प्रतय केवल प्राप्ति की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

सात का नक्शा देखने के लिए प्लान नंबर लिखक करें।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश सं०-०६/खास नं० नालन्दा-४६/२०२०

(६)/रा०, पटना-१६, दिनांक-

2

AS
मंत्रिपरिषद्
सचिवालय
परमेश्वरि

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं ठकवारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।



मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.07.2021 के मद संख्या-09 में दी गई स्वीकृति के आलोक में बना जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण हेतु वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश मांग नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरिविक के बीजा-महम्मदपुर, थाना नं०-348, खास नं०-69, खोसरा नं०-25 के अन्तर्गत कुल रकबा-16.00 एकड़ गैरमजबूत मालिक किस्म सरती कदीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें छात्राकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास नाल नैनुअल के प्राक्धानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार, पटना
मंत्रिपरिषद्
सचिवालय
परमेश्वरि

Handwritten signature and date 30/7/21

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुरील कुमार),
निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

आदेश सं०-०६/खास नं० नालन्दा-४६/२०२०-

(६)/रा०, पटना-१६, दिनांक-

प्रतिलिपि-सनाहर्ता, नालन्दा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अनिलेख सं०-०४/२०१९-२० को संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-
(सुरील कुमार),
निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

4013
30/7/21
Bihar Revenue Office

Das See
Tad
02/08/2021

73


राजस्व

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अवे/श ५
१/४/२-२/

महान्दा नगरपालिका
बिहार शरीफ
सेवा में ० १० २०२१

(६)/रा०, पटना-१५, दिनांक-.....



अनीपचारिक रूप से पत्राचारित
११/८



विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-०२.०७.२०२१ के मद संख्या-०९ में दी गई स्वीकृति के आलोक में गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण हेतु वन विभाग की अधिपठित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के जंरा नाग मालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, धाना न०-३४८, खाता न०-६९, खेसरा न०-२५ के अन्तर्गत कुल रकबा-१६.०० एकड़ गैरमजसूआ मालिक किन्तु परती कर्दीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

- स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।
- अन्य शर्तें खास महान्दा मैन्युअल के प्रायधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।
- आन्तरिक वित्तीय संलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६०/-

(सुरील कुमार),

निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

१६/९
०२/०८/२०२१
श्री. कार्तिक
अधीक्षक

जापांक-०६/रा० म० नालन्दा-४५/२०२०- ७९८ (६)/रा०, पटना-१५, दिनांक- २७-०७-२१
प्रतिलिपि-समाहर्ता, नालन्दा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख सं०-०४/२०१९-२० को संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

(सुरील कुमार),

जापांक २२८२ मा. दि. ०३/०३/२०२१ निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

प्रतिलिपि: - अ. ज. डि. वि. के मुख्य अधिकारी एवं आवक अधिकारी को सूचना हेतु प्रेषित।
इस पत्र के साथ अधिसूचना सं. ३(अ) २०-२१ मूल में प्रकाशित है।
कार्य- अधिसूचना संख्या ३(अ) २०-२१ दिनांक २०/०७/२०२१ के तहत मू-अर्जन-सह-अपर सचिव, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
अरण्य विहार, सिपाह, (पटना-राँची रोड वाईपास) धाना-दीपनगर, बिहारशरीफ-803216

ज्ञापक ...3981... दिनांक ..२७./०८./२०२१

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, सिंघाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ को इस कार्यालय के पत्रांक 3813 दिनांक 02.08.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महमदपुर, थाना नम्बर-348, खाता संख्या-69, खेत्तरा संख्या-25 अन्तर्गत कुल रकबा 16 एकड़ गैर-मजरूआ मालिक, किस्म-परती, कदिम भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थानान्तरण की स्वीकृति के आलोक में उक्त भूमि विवाद रहित अतिक्रमण मुक्त कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में दाखिल-खारि (Mutation) कराते हुए अचलाधिकारी, गिरियक से अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब सनर्पित करने व कृपा करें।

U Singh
7/8/2021

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ,
(जिला राजस्व शाखा)



संघिका संख्या...../पत्रांक 20/6...../रा0, दिनांक 11/9/2020

प्रेषक,

समाहर्ता,
नालन्दा।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, थाना नं0-348 के खाता नं0-69 खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल रकवा 16.00 एकड़ गैरमजरुआ मालिक भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-957(8), दिनांक-06.07.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-1908/रा0, दिनांक-01.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, थाना नं0-348 के खाता नं0-69 खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल 16.00 एकड़ गैरमजरुआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित भूमि सैरात, श्मशान, कब्रिस्तान, जलस्रोत, न्यायालयीय विवाद एवं अतिक्रमण इत्यादि से मुक्त है। साथ ही हल्का में उपलब्ध जमाबंदी पंजी में वर्णित भूमि की जमाबंदी किसी के नाम से कायम नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गिरियक के जांच प्रतिवेदन पत्रांक-486 दिनांक-04.09.2020 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अनु0:-यथोपरि।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा, नालन्दा।

अपर समाहर्ता,
नालन्दा।

विश्वासभाजन,

सम्भूषण,
नालन्दा।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरी
(जिला मू-अर्जन शाखा)

पत्रांक १५७ / मू०अ०,

दिनांक १९/०४/२०२०

प्रेषक,

समाहर्ता,
नालन्दा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरी।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत गंगाजल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा-घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम-१९८० के तहत ३६.०४२५२ हे० अपयोजन के समतुल्य गैर वनभूमि के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-१६७७/ज.प्र.लि, दिनांक-११.०४.२०२०

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रज्ञागिक पत्र द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत गंगाजल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा-घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम-१९८० के तहत अपयोजन के समतुल्य गैर वनभूमि का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में मौजा-नेकपुर, मरसुआ एवं कान्दोपुर के योजित भूमि पर आपत्ति प्रकट की गई थी।

क्र	अंचल	मौजा/धाना नं०	रकबा (एकड़ में)	आपत्ति रकबा (ए०)	आपत्ति	निराकरण
१	राजगीर	नेकपुर/४६८	५.००	५.००	प्रस्तावित भूमि पर विद्यालय की बाहरदिवारी है। यामीनों द्वारा भूमि के बीच से पगडंडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है।	इस भूमि के समतुल्य दूसरे स्थान पर भूमि उपलब्ध करा दी गई है।
२	वन	मरसुआ/३८२	२.१८	२.१८	भूमि नदी के किनारे रहने के कारण बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाने की आशंका है।	
३	गिरियक	कान्दोपुर/३६०	२४.१७	०.८४६	इस भूमि पर कुछ हिस्से पर एक विद्यालय एवं कृषि विभाग का एक गोदाम है तथा प्लॉट के बीचों-बीच आवागमन हेतु पक्का रास्ता निर्मित है।	

आपत्ति अन्तर्गत कुल रकबा ८.०२६ एकड़ भूमि गिरियक अंचल अन्तर्गत मौजा-महम्मदपुर, धाना नं०-३४८ में पूर्व से दिये गये ७.९७६ के अतिरिक्त दिया जा रहा है कुल रकबा १६ एकड़ का नक्शा GPS Reading सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण हेतु अभिलेख पत्रांक-१०४१/रा० दिनांक-१३.०४.२०२० के माध्यम से आयुक्त पटना प्रमण्ड, पटना को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति सरकार त्तर से दी जानी है। हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करकर दखल-कब्जा दे दिया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विरासभाजन

(Signature)
समाहर्ता,
नालन्दा।

बिहार सरकार
समाहरणालय, किशनगंज
किशनगंज - 855107
(जिला राजस्व प्रशाखा)

दूरभाष 06456-222530 (राज्य)
06456-225480 (क्षेत्र)
06456-222535 (आगरा)
06456-222626 (फैसल)
Email : dm-kishanganj.bih@nic.in

पत्रांक...../जि0रा0, किशनगंज दिनांक- वीं मई, 2020 ई0

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्बह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा-कटोरा में पेच जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु 24.17 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंग ::

इस कार्यालय का आदेश ज्ञापक 185/जि0रा0, दिनांक 28.01.2016 एवं कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारराज्य का पत्रांक 578, दिनांक 11.05.2020

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारराज्य के उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि गंगा जल उद्बह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा-कटोरा में पेच जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु 24.17 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक के मौजा-लोहागाड़ा एवं टेढ़गाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा में वन विभाग को हस्तांतरित कुल 146.77 एकड़ भूमि को वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अबतक रक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने की स्थिति में गंगा जल उद्बह योजना के तहत अपयोजनार्थ भूमि के समतुल्य 24.17 हे0 भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृतिपत्रांक 1227(6)/रा0, दिनांक 31.12.2014 के द्वारा किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा-लोहागाड़ा के थाना सं0-84, खाता सं0-318, खेसरा सं0-1593 एवं 1595 एवं थाना सं0-82, खाता सं0-56, खेसरा सं0-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजलआ खास भूमि एवं टेढ़गाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा के थाना सं0-78, खाता सं0-96, खेसरा सं0-390 की 75.83 एकड़ गैरमजलआ बिहार सरकार भूमि कुल 146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की प्राप्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या-185/जि0रा0, दिनांक 28.01.2016 के द्वारा उक्त विवरण की कुल 146.77 एकड़ भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार, पटना को निःशुल्क स्थाई रूप से हस्तांतरित किया गया है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त हस्तांतरित भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अभीतक रक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित परिप्रेक्ष्य में किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा-लोहागाड़ा एवं टेढ़गाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा में पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तांतरित कुल 146.77 एकड़ भूमि के अंतर्गत गंगा जल उद्बह योजना के अपयोजित होने वाली 24.17 हे0 भूमि को समायोजित मानते हुए रक्षित वन

क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वासनामजन,

हो-

(आदित्य प्रकाश)

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

- ज्ञापक... १११.../जि०२१०, दिनांक... १३.../ ०५ / २०२०
- प्रतिलिपि :: कार्यालयक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनीटरिंग अंचल ०३ सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


Aditya Prakash
13/5/2020
(आदित्य प्रकाश)

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

विद्युत पत्र
संख्या एवं दिनांक

संख्या 09/12-13

दिनांक 15/12/2014



पत्र में

महलेश्वरनाथ, बिहार (सेवा एवं मकानों),
नोरखंड मटेल पथ, गटना।

विषय - विद्युत विभाग।

विषय - मन्त्रिमहिपद की बैठक दिनांक-09.12.2014 के मद संख्या-24 में दी गई स्वीकृति के आलाोक में किरानमज जिले के टिपल बँक अंचल के मौजा-लोहागादा के धाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं धाना सं०-82, खाता सं०-55, खेसरा सं०-58 की 70.39 एकड़ बिहार सरकार भोरमजल्ला खास भूमि (विवरणी-अनुलग्नक-1) तथा टेदामाछ अंचल के मौजा-बिचौड़ा के धाना सं०-78, खाता सं०-96, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ भोरमजल्ला बिहार सरकार भूमि (विवरणी-अनुलग्नक-11), कुल-146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।

1/12/2014
15/12/2014

आदेश : स्वीकृत।

2 स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राज्य एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3 अन्य शर्तें खास महलेश्वर मंत्रिमहिपद के प्राथधानी एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

बिहार राजधानी के आदेश से

80/-

(अमर सिंह)

सरकार के उप सचिव।

निम्नलिखित
कार्य से

आपका-6/20140 दि. 8/12/2014-1/14

प्रतिलिपि-समाहर्ता, किरानमज को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु घोषित। मूल अनिलेख संख्या-09/12-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

80/-

(अमर सिंह)

सरकार के उप सचिव।

आदेश-5/20130 वि.सं.प.सं. 1/14

दि. 15/08/2013

प्रतिनिधि-संयुक्त, पूर्णिया प्रखण्ड, पूर्णिया को उनके कार्यालय परतार-2013-14 दिनांक-26.10.2013 के पत्रों में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयश सिंह)
सरकार के उप सचिव।

आदेश-6/20130 वि.सं.प.सं. 1/14

दि. 15/08/2013

प्रतिनिधि-प्रधान, सचिव, पंचायत एवं जन विकास, मिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयश सिंह)
सरकार के उप सचिव।

आदेश-7/20130 वि.सं.प.सं. 1/14

दि. 15/08/2013

प्रतिनिधि-असन सचिव, मातृमंडल अभिवालय विभाग, मिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयश सिंह)
सरकार के उप सचिव।

आदेश-8/20130 वि.सं.प.सं. 1/14

12/2/13

दि. 15/08/2013

प्रतिनिधि-वित्त विभाग, प्रशाखा-8, मिहार, पटना, राजस्व विभागीय प्रशाखा-8, नरस पार्क, प्रशाखा-8 को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयश सिंह)
सरकार के उप सचिव।

राजा हरपाल राय, किसान मंच


(बीबी संकेत प्रशासन)


आदेश:-


राज्य एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत/अंशक पत्रांक 1221/6/2016 दिनांक 11.12.2016 को वन में अधिभूति की कानून दिनांक 09.12.2014 को क्र. संख्या-24 वीं की तर्ज स्वीकृति के आलेख में किशनगंज जिले के दिवलबैक अंचल के गोवा-लोहागादा के खंभ सं०-54, खंभ सं०-319, खंभ सं०-260-1503 एवं खंभ सं०-82, खंभ सं०-55, खंभ सं०-53 की 70.87 एकड़ बिहार सरकार गैरमजदूरी आस भूमि (विपरीत-अनुसूचक-1) देवागाछ अंचल के भोजा-विपरीत के खंभ सं०-78, खंभ सं०-96, खंभ सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरमजदूरी बिहार सरकार भूमि (विपरीत-अनुसूचक-1), कुल 146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क त्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदालोक में संलग्न विपरीत (दिवलबैक अंचल अनुसूचक-1 एवं देवागाछ अंचल अनुसूचक-1) के अनुसूचक बिहार सरकार गैरमजदूरी आस भूमि किशन जमीन जंगल/ सखुआ को निम्नांकित शर्तों के अर्थात् पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क त्थायी रूप से हस्तांतरित किया जाता है :-

01. जिल प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राज्य एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जायेगी।
02. अन्य सार्व-स्वाम्य महाल भेजुआत के शर्तानों एवं समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।


 प्रभारी पदाधिकारी,
 जिला राजस्व प्रशासन,
 किशनगंज।
 14/11/16


 अपर समाहर्ता,
 किशनगंज।
 14/11/16


 समाहर्ता,
 किशनगंज।

शापक... 1.S.3... जि०रा०, दिनांक... 14/11/2016

- प्रतिलिपि :: अंचल अधिकारी, देवागाछ को भू-हस्तांतरण अभिलेख सं०-01/06-07 मूल प्रति के साथ सूचनाएं प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि स्वीकृत भूमि की अंचल अमीन से काफी व सीमांकन करा कर अपनी उपस्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज को अविलम्ब हस्तागत कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :: अंचल अधिकारी, दिवलबैक को भू-हस्तांतरण अभिलेख सं०-09/12-13 मूल प्रति के साथ सूचनाएं प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि स्वीकृत भूमि की अंचल अमीन से काफी व सीमांकन करा कर अपनी उपस्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज को अविलम्ब हस्तागत कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :: वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज, को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजिए।
- प्रतिलिपि :: अनुसूचक पदाधिकारी, किशनगंज भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजिए।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजिए।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, राज्य एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

 प्रभारी पदाधिकारी,
 जिला राजस्व प्रशासन,
 किशनगंज।
 14/11/16

 अपर समाहर्ता,
 किशनगंज।
 14/11/16

 समाहर्ता,
 किशनगंज।

अनुसूची-2

रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने हेतु बिहार सरकार गैर मजलूआ खास भूमि का हस्तांतरण तालिका

सं०	अंचल का नाम	बीजा	धाना संख्या	खाता संख्या	खेती संख्या	हस्तांतरित रकबा (एकवा एकड़ में)	किस्म जमीन
02	दिधलचौक	लोहागाड़ा	84	318/ गैर मजलूआ खास	1593	13.12	सखुआ
			82	55/ गैर मजलूआ खास	1595	17.81	सखुआ
					58	39.96	सखुआ
						70.89	

कुल रकबा :-

प्रचारी पदाधिकारी
जिला राजस्व प्रशासन
किसानगंज

13/11/16

अपर संग्रहकर्ता
किसानगंज

संग्रहकर्ता
किसानगंज

2015/16

10/10/2015

रिपोर्ट नं - 22

रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने हेतु बिहार सरकार गैर मजदूरी आरा भूमि का हस्तांतरण तालिका

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेती संख्या	अर्जांकित रकबा (थाना एकड़ में)	किस्य जमीन
01	देवगाछ	विषीड़ा	78	96 गैर मजदूरी बिहार सरकार	397	7.97	जंगल
					390	67.91	सखुआ
					कुल रकबा :-	75.88	

समाहता, किसानगंज।

अरु अमहिन, किसानगंज।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला रणस्य प्रशाखा
किसानगंज

14/11/16

344

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

अरण्य विहार, सिपाह, (पटना-राँची रोड वाईपास) थाना-टीपनगर, बिहारशरीफ-803216

✉ dfonalandadivision@gmail.com

☎ : 9430890901

📞 : 06112-297121

पत्रांक ...14.16...../अ० दिनांक .05. / 4. / 2022

प्रेषक,

विकास अलहावत, मा००००
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

विषय :

गंगाजल उद्वह योजना अन्तर्गत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण में अपयोजित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि की अधिसूचना का प्रारूप का प्रेषण।

प्रसंग :

भवदीय ज्ञापक 529 दिनांक 24.03.2022।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मींग की गयी सूचना इस पत्र के साथ

संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है।



Handwritten signature/initials in blue ink.

क्र०	वस्तुवैज	अनुलग्नक संख्या
1.	गैर वनभूमि का चौहदी सहित नक्शा	01
2.	Latitude/Longitude	
3.	दाखिल-खारिज आदेश	02
4.	Possession प्रमाण-पत्र	03
5.	अतिक्रमण मुक्त/दावारहित प्रमाण-पत्र	04
6.	अधिसूचना प्रारूप	05

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपयोजन के बदले प्राप्त गैर वनभूमि को सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करवाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : I, II, III, IV, V

विश्वासभाजन,


Handwritten signature
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक 1416 दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपि : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-तह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय सेवा में समर्पित।

Janal


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।



अभिप्रेत
गण

का प्रमाणित प्रधिकारी
महानगर का प्रमाणित, बिहार शरीफ

ग्राम - मटमण्डल
 खाना नं० 348
 Scale 16 1/2 मील



क्र.सं.	खाना नं०	क्षेत्रफल
1	25.00000	0.00000
2	25.00000	0.00000
3	25.00000	0.00000
4	25.00000	0.00000
5	25.00000	0.00000
6	25.00000	0.00000
7	25.00000	0.00000
8	25.00000	0.00000
9	25.00000	0.00000
10	25.00000	0.00000
11	25.00000	0.00000
12	25.00000	0.00000
13	25.00000	0.00000
14	25.00000	0.00000
15	25.00000	0.00000
16	25.00000	0.00000
17	25.00000	0.00000
18	25.00000	0.00000
19	25.00000	0.00000
20	25.00000	0.00000
21	25.00000	0.00000
22	25.00000	0.00000
23	25.00000	0.00000
24	25.00000	0.00000
25	25.00000	0.00000
26	25.00000	0.00000
27	25.00000	0.00000
28	25.00000	0.00000
29	25.00000	0.00000
30	25.00000	0.00000
31	25.00000	0.00000
32	25.00000	0.00000
33	25.00000	0.00000
34	25.00000	0.00000
35	25.00000	0.00000
36	25.00000	0.00000
37	25.00000	0.00000
38	25.00000	0.00000
39	25.00000	0.00000
40	25.00000	0.00000
41	25.00000	0.00000
42	25.00000	0.00000
43	25.00000	0.00000
44	25.00000	0.00000
45	25.00000	0.00000
46	25.00000	0.00000
47	25.00000	0.00000
48	25.00000	0.00000
49	25.00000	0.00000
50	25.00000	0.00000
51	25.00000	0.00000
52	25.00000	0.00000
53	25.00000	0.00000
54	25.00000	0.00000
55	25.00000	0.00000
56	25.00000	0.00000
57	25.00000	0.00000
58	25.00000	0.00000
59	25.00000	0.00000
60	25.00000	0.00000
61	25.00000	0.00000
62	25.00000	0.00000
63	25.00000	0.00000
64	25.00000	0.00000
65	25.00000	0.00000
66	25.00000	0.00000
67	25.00000	0.00000
68	25.00000	0.00000
69	25.00000	0.00000
70	25.00000	0.00000
71	25.00000	0.00000
72	25.00000	0.00000
73	25.00000	0.00000
74	25.00000	0.00000
75	25.00000	0.00000
76	25.00000	0.00000
77	25.00000	0.00000
78	25.00000	0.00000
79	25.00000	0.00000
80	25.00000	0.00000
81	25.00000	0.00000
82	25.00000	0.00000
83	25.00000	0.00000
84	25.00000	0.00000
85	25.00000	0.00000
86	25.00000	0.00000
87	25.00000	0.00000
88	25.00000	0.00000
89	25.00000	0.00000
90	25.00000	0.00000
91	25.00000	0.00000
92	25.00000	0.00000
93	25.00000	0.00000
94	25.00000	0.00000
95	25.00000	0.00000
96	25.00000	0.00000
97	25.00000	0.00000
98	25.00000	0.00000
99	25.00000	0.00000
100	25.00000	0.00000

टीका:-
 उत्तर:- प्लॉट नं० 348
 स्थिति:- 25.00000
 बूट:- 346, 347, 102. लीटर
 परिमाण:- प्लॉट नं० 348

अभिप्रायित
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी
 नगर वन प्रमण्डल, बिहार शरीर

प्रमाणित पत्र
 25.00000
 346, 347, 102 लीटर
 प्लॉट नं० 348

POSSESSION CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि जिसकी विवरणी निम्नलिखित है, अतिक्रमण मुक्त है एवं दोनों स्थल की भूमि को दाखिल-खारिज करावाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ) द्वारा Possession (कब्जा) में ले लिया गया है।

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ वनक्षेत्र-राजगीर वन प्रक्षेत्र।

क्र०	गाँव का नाम	खाता नं०	थाना	थाना नं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खेसरा नं०
1.	नानन्द	727	सिलाव	442	19.75 एकड़	921
2.	महममदपुर	69	गिरियक	348	16.00 एकड़	25
					35.75 एकड़	


 वन प्रमण्डल इलाहाबाद, बिहारशरीफ,
 नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।





बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र, राजगीर।

पत्रांक :- 541

दिनांक :- 05/10/2022

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालंदा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

विषय:-

गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेयजलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले मौजा- नानन्द तथा मोहम्मदपुर में उपलब्ध भूमि के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय कार्यालय पत्रांक 5445, दिनांक 25.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राजगीर वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेयजलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले सिलाव अंचल के मौजा- नानन्द, घाना नं०- 440, छाता सं०- 727, खेसरा- 921 कुल 19.75 एकड़ तथा गिरियक अंचल के मौजा- मोहम्मदपुर, छाता सं०- 69, खेसरा- 25 कुल 16 एकड़ प्राप्त गैर मजलूआ मालिक किस्म परती कदिम भूमि का दाखिल खारिज करवा लिया गया है तथा उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है, जिसमें कंटीले तार व पीलर की सहायता से घेरान का कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त दोनों स्थल दाखिल खारिज करवाकर अपने possession में ले लिया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
राजगीर वन प्रक्षेत्र, राजगीर।

V (a)

CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि जिसकी विवरणी निम्नलिखित है, को कंटीले तार एवं पीलर की सहायता से घेरान कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं उक्त भूमि अद्यतन अतिक्रमण मुक्त है। तथा दोनों स्थलों के संबंध में किसी प्रकार का दावा नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय में अद्यतन अप्राप्त है।

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ वनक्षेत्र-राजगीर वन प्रक्षेत्र।

क्र०	गाँव का नाम	खाता नं०	धाना	धाना नं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खेसरा नं०
1.	नानन्द	727	सिलाव	442	18.75 एकड़	921
2.	महमन्दपुर	69	गिरियक	348	16.00 एकड़	25
					35.75 एकड़	



अनु-12

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com

Phone No. 7463889411

पत्रांक- 658

बिहारशरीफ,

दिनांक 03/03/2022

श्री. महाशय
सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

विषय:-

गंगाजल आपूर्ति योजना अन्तर्गत गिरियक स्थित राजगीर जलाशय के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण के घेरान पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में।


प्रसंग:- भवदीय का पत्रांक 995/अ0 दिनांक 03.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि मौजा-महम्मदपुर अंचल-गिरियक, धाना नं0-348, खाता स0-69 एवं खेसरा स0-25 के अन्तर्गत कुल 16 एकड़ गैरमंजूर आ मालिक किस्म परती कदीम भूमि, जो भूमि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया गया है का घेराबन्दी (Fencing) कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासनाजन



कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।



I enclose to you in the body of this
 letter a copy of the ...
 Any ...
 In ...
 On ...
 18th Feb 1900

3	10	100	1000
4	20	200	2000
5	30	300	3000
6	40	400	4000
7	50	500	5000
8	60	600	6000
9	70	700	7000
10	80	800	8000
11	90	900	9000
12	100	1000	10000
13	110	1100	11000
14	120	1200	12000
15	130	1300	13000
16	140	1400	14000
17	150	1500	15000
18	160	1600	16000
19	170	1700	17000
20	180	1800	18000
21	190	1900	19000
22	200	2000	20000
23	210	2100	21000
24	220	2200	22000
25	230	2300	23000
26	240	2400	24000
27	250	2500	25000
28	260	2600	26000
29	270	2700	27000
30	280	2800	28000
31	290	2900	29000
32	300	3000	30000
33	310	3100	31000
34	320	3200	32000
35	330	3300	33000
36	340	3400	34000
37	350	3500	35000
38	360	3600	36000
39	370	3700	37000
40	380	3800	38000
41	390	3900	39000
42	400	4000	40000
43	410	4100	41000
44	420	4200	42000
45	430	4300	43000
46	440	4400	44000
47	450	4500	45000
48	460	4600	46000
49	470	4700	47000
50	480	4800	48000
51	490	4900	49000
52	500	5000	50000
53	510	5100	51000
54	520	5200	52000
55	530	5300	53000
56	540	5400	54000
57	550	5500	55000
58	560	5600	56000
59	570	5700	57000
60	580	5800	58000
61	590	5900	59000
62	600	6000	60000
63	610	6100	61000
64	620	6200	62000
65	630	6300	63000
66	640	6400	64000
67	650	6500	65000
68	660	6600	66000
69	670	6700	67000
70	680	6800	68000
71	690	6900	69000
72	700	7000	70000
73	710	7100	71000
74	720	7200	72000
75	730	7300	73000
76	740	7400	74000
77	750	7500	75000
78	760	7600	76000
79	770	7700	77000
80	780	7800	78000
81	790	7900	79000
82	800	8000	80000
83	810	8100	81000
84	820	8200	82000
85	830	8300	83000
86	840	8400	84000
87	850	8500	85000
88	860	8600	86000
89	870	8700	87000
90	880	8800	88000
91	890	8900	89000
92	900	9000	90000
93	910	9100	91000
94	920	9200	92000
95	930	9300	93000
96	940	9400	94000
97	950	9500	95000
98	960	9600	96000
99	970	9700	97000
100	980	9800	98000
101	990	9900	99000
102	1000	10000	100000

18th February 1900

Wm. ...
 C. O. ...
 Dighalbank
 18th Feb 1900



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



Signature
 Date

C.O. Dighalbank
 Digitalsignature


G.P. February 56.

भूमि का चौहदी

| क्र० सं० | विभाग का नाम | मौजा | थाना नं० | खाता सं० | खेसरा नं० | रकबा (एकड़) | चौहदी |
|------------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| 1 | वन विभाग,
बिहार सरकार | चिचौड़ा | 78 | 96/
गैरमजरुआ
बिहार सरकार | 397
390 | 7.97
67.91 | उ०- नेपाल सीमा
द०- प्रमाण ठाकुर व गोपाल पं०
पु०- नदी किशुनी
प०- डोका व सीताराम सिंह |
| कुल :- | | | | | | 75.88 | |
| 2 | वन विभाग,
बिहार सरकार | लौहागाड़ा | 82 | 55/
गैरमजरुआ
खास | 58 | 39.96 | उ०- झाड़ बस्ती से एस०एस०बी०
कैम्प जानेवाला सड़क एवं किसान
का निजी जमीन।
द०- कटहलबाड़ी ग्राम
पु०- झाड़ बस्ती ग्राम
प०- मोहम्मद चेतावली बगैरह का
निजी जमीन। |
| | | | 84 | 318/
गैरमजरुआ
खास | 1593
1595 | 13.12
17.81
30.93 | उ०- एस०एस०बी० कैम्प एवं सड़क
तथा मंगल साह का निजी जमीन।
द०- मो० मोहर अली, मो० वशीर
बगैरह का निजी जमीन
पु०- मो० चेतावली बगैरह का निजी
जमीन।
प०- किसान का निजी जमीन एवं
इण्डो-नेपाल सड़क। |
| कुल :- | | | | | | 70.89 | |
| कुल योग :- | | | | | | 146.77 | |


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 अररिया वन प्रमंडल, अररिया।


गाराहू नाम विन्दौरा
 भाग नम्बर 100
 आना नम्बर 100
 (विन्दौरा) जिला
 जिला (विन्दौरा) नम्बर 100
 विन्दौरा जिला
 पंचायत नम्बर 100 की सीमा
 100 नम्बर - 100 नम्बर



विन्दौरा जिला
 विन्दौरा जिला नम्बर 100
 नदी कि 100
 नदी कि 100

संज्ञा -

| | | | |
|-----------------------|---------|-----|-----|
| विन्दौरा का क्षेत्रफल | वर्ग मी | 100 | 100 |
| जिला का क्षेत्रफल | वर्ग मी | 100 | 100 |
| नदी कि 100 | वर्ग मी | 100 | 100 |

आना नम्बर 100 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी के आना की
 100 वर्ग मी आना की 100 वर्ग मी की सीमा
 100 वर्ग मी आना की 100 वर्ग मी की सीमा
 100 वर्ग मी आना की 100 वर्ग मी की सीमा

Handwritten notes and signatures in Hindi, including names like 'Ramesh' and 'Suresh'.

Handwritten notes and signatures in Hindi, including names like 'Ramesh' and 'Suresh'.

D. F. O
 ABASIA


पञ्चम

प्लॉट नं. १०५
 प्लॉट नं. १०६
 प्लॉट नं. १०७
 प्लॉट नं. १०८
 प्लॉट नं. १०९
 प्लॉट नं. ११०
 प्लॉट नं. १११
 प्लॉट नं. ११२
 प्लॉट नं. ११३
 प्लॉट नं. ११४
 प्लॉट नं. ११५
 प्लॉट नं. ११६
 प्लॉट नं. ११७
 प्लॉट नं. ११८
 प्लॉट नं. ११९
 प्लॉट नं. १२०
 प्लॉट नं. १२१
 प्लॉट नं. १२२
 प्लॉट नं. १२३
 प्लॉट नं. १२४
 प्लॉट नं. १२५
 प्लॉट नं. १२६
 प्लॉट नं. १२७
 प्लॉट नं. १२८
 प्लॉट नं. १२९
 प्लॉट नं. १३०
 प्लॉट नं. १३१
 प्लॉट नं. १३२
 प्लॉट नं. १३३
 प्लॉट नं. १३४
 प्लॉट नं. १३५
 प्लॉट नं. १३६
 प्लॉट नं. १३७
 प्लॉट नं. १३८
 प्लॉट नं. १३९
 प्लॉट नं. १४०
 प्लॉट नं. १४१
 प्लॉट नं. १४२
 प्लॉट नं. १४३
 प्लॉट नं. १४४
 प्लॉट नं. १४५
 प्लॉट नं. १४६
 प्लॉट नं. १४७
 प्लॉट नं. १४८
 प्लॉट नं. १४९
 प्लॉट नं. १५०

१७७०००

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| प्लॉट नं. | प्लॉट नं. | प्लॉट नं. |
| ५५ | ५६ | ३९-१६ |

| POINT NUMBER | LATITUDE | LONGITUDE |
|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 26.4036357° | 87.7605950° |
| 2 | 26.4037250° | 87.7605950° |
| 3 | 26.4037855° | 87.7583157° |
| 4 | 26.4038940° | 87.7583157° |
| 5 | 26.4039750° | 87.7560220° |
| 6 | 26.4040650° | 87.7560220° |
| 7 | 26.4041550° | 87.7560220° |
| 8 | 26.4042450° | 87.7560220° |
| 9 | 26.4043350° | 87.7560220° |
| 10 | 26.4044250° | 87.7560220° |
| 11 | 26.4045150° | 87.7560220° |
| 12 | 26.4046050° | 87.7560220° |
| 13 | 26.4046950° | 87.7560220° |
| 14 | 26.4047850° | 87.7560220° |
| 15 | 26.4048750° | 87.7560220° |
| 16 | 26.4049650° | 87.7560220° |
| 17 | 26.4050550° | 87.7560220° |
| 18 | 26.4051450° | 87.7560220° |
| 19 | 26.4052350° | 87.7560220° |
| 20 | 26.4053250° | 87.7560220° |
| 21 | 26.4054150° | 87.7560220° |
| 22 | 26.4055050° | 87.7560220° |
| 23 | 26.4055950° | 87.7560220° |
| 24 | 26.4056850° | 87.7560220° |
| 25 | 26.4057750° | 87.7560220° |
| 26 | 26.4058650° | 87.7560220° |
| 27 | 26.4059550° | 87.7560220° |



D. F. I. O. GRAHA

